[2020] 1 उम. नि. प. 135

श्री दानेश्वरी ट्रेडर्स (मैसर्स)

बनाम

संजय जैन और अन्य

[2011 की दांडिक अपील सं. 61-62]

21 अगस्त, 2019

न्यायमूर्ति आर. बानुमती और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 और 139 – चैक का अनादरण – चैक के धारक के पक्ष में उपधारणा – जब लेखीवाल द्वारा चैक जारी किया जाता है तो धारक के पक्ष में यह उपधारणा लागू होगी कि चैक किसी ऋण या दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए जारी किया गया था और चैक का अनादरण होने पर परिवादी द्वारा इस आरंभिक भार का निर्वहन कर देने पर कि उसे चैक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी किया गया था और यदि अभियुक्त-लेखीवाल साक्ष्य प्रस्तुत करके इस उपधारणा का खंडन करने में असफल रहता है, तो वह दोषसिद्धि के लिए दायी होगा ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-परिवादी, प्रत्यर्थी-अभियुक्त को उसके अनुरोध पर वस्तुओं और चावल की थैलियों का प्रदाय कर रहा था । इस संबंध में, प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने विभिन्न चैक जारी किए, जिन्हें जब संग्रहण के लिए प्रस्तुत किया गया तो वे अनादृत हो गए । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दो परिवाद यह अभिकथन करते हुए फाइल किए कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपीलार्थी को देय रकम के बदले में जारी किए गए चैक प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गए । यह प्रकथन किया गया कि विधिक सूचना जारी करने के बावजूद प्रत्यर्थी ने संदाय नहीं किया । विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई रसीदों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोनों मामलों में दोषमुक्त

कर दिया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के इस पक्षकथन को नामंजूर कर दिया कि प्रत्यर्थी कभी-कभी उधार पर चावल की थैलियां खरीदता था और कभी-कभी नकद संदाय करके चावल की थैलियां खरीदता था और यह बात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के असंगत हैं । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-परिवादी ने लिखित परिवाद में कहीं भी यह अभिकथन नहीं किया है कि प्रत्यर्थी उधार तथा नकद में खरीदारी करता था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के पास कोरे चैक प्रतिभूति के रूप में तब छोड़ता था जब कभी वह उधार में खरीदारी करता था और इसलिए अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा उपलब्ध नहीं है । उच्च न्यायालय ने अपील में प्रत्यर्थी-अभियुक्त की दोषमुक्ति की अभिपुष्टि की और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने यह प्रतिरक्षा ली है कि विषयाधीन चैक उस माल के प्रदाय के निमित्त प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए थे जिसका बाद में नकद संदाय कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि परिवादी के लिए यह आबद्धकर था कि वह शिकायत में यह स्पष्ट करता कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए नकद संदाय अन्य वस्तुओं के संबंध में थे और चैक चावल की थैलियों के संदाय के लिए दिए गए थे । अपीलार्थी-परिवादी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अधीन जब एक बार लेखीवाल द्वारा चैक जारी कर दिया जाता है, तो परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 के अधीन धारक के पक्ष में एक उपधारणा लागू होगी । धारा 139 से यह कानूनी उपधारणा सृजित होती है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन निर्दिष्ट प्रकृति का प्राप्त हुआ चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए है । उन परिस्थितियों को साबित करने का आरंभिक भार परिवादी पर होता है, जिनमें चैक उसके पक्ष में जारी किया गया था और यह कि चैक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किया था । यह भार अभियुक्त पर है कि इस उपधारणा का खंडन करने के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों

का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि ऐसा ऋण विद्यमान नहीं है या चैक प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं है । प्रस्तुत मामले में, परिवादी ने अभि. सा. 1 के रूप में स्वयं की परीक्षा कराकर उस पर अधिरोपित इस आरंभिक भार का निर्वहन किया है कि चैक उधार पर खरीदी गई चावल की थैलियों के लिए जारी किए गए थे । अभि. सा. 1 की परीक्षा से अधिनियम की धारा 139 के अधीन यह कानूनी उपधारणा उद्भूत होती है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा चैक किसी ऋण या और दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए जारी किए गए थे । निचले न्यायालयों ने परिवादी के प्रकथनों पर इस आधार पर अविश्वास किया कि परिवाद में ऐसे कोई प्रकथन नहीं हैं कि वस्तुएं नकद में बेची गई थीं और चावल की थैलियां उधार पर बेची गई थीं तथा चैक उधार पर बेचे गए माल के लिए जारी किए गए थे । यद्यपि, परिवाद में ऐसे कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं हैं कि चैक उधार पर की गई खरीद के लिए जारी किए गए थे, तो भी अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि चैक उधार पर खरीदी गई वस्तुओं के लिए जारी किए गए थे । निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार करके गलती की है कि परिवाद में नकद में की गई खरीदारी के बारे में कोई प्रकथन नहीं किए गए थे । निचले न्यायालयों ने अधिनियम की धारा 139 के अध्यधीन यह कानूनी उपधारणा न करके गलती की है कि परिवादी ने चैक ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किए थे । प्रत्यर्थी-अभियुक्त को यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था कि चैक प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं थे और उसके द्वारा उन्मोचित किया जाने वाला कोई ऋण या दायित्व नहीं था । प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा अवलंब ली गई रसीदों-प्रदर्श 22/सी (समुच्चय) से उधार पर की गई खरीदारी और एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के विद्यमान होने के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं होता है, जिसके लिए चैक जारी किए गए थे । निचले न्यायालयों ने यह मत व्यक्त करके गलती की है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने रसीदों-प्रदर्श 22/सी (समुच्चय) द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उद्भूत कानूनी उपधारणा का खंडन कर दिया है । परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि यह एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण था और चैक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण का उन्मोचन करने के लिए जारी किए

गए थे । परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य से निचले न्यायालयों को अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा करनी चाहिए थी । प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के अधीन उद्भूत उपधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है । प्रत्यर्थी की यह प्रतिरक्षा कि यद्यपि उसने वस्तुओं/चावल की थैलियों का संदाय कर दिया था, फिर भी अपीलार्थी-परिवादी द्वारा कोरे चैक वापस नहीं किए गए थे, पूर्ण रूप से अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को संधार्य नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोनों परिवादों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है, तथापि, यह विचार करते हुए कि चैक संव्यवहार वर्ष 2003 का है, इतने अंतराल के पश्चात् न्यायालय अभियुक्त पर कोई कारावास का दंडोदश अधिरोपित करना समुचित नहीं समझता है । (पैरा 16, 17, 18 और 19)

अवलंबित निर्णय

पैरा

[2009] (2009) 2 एस. सी. सी. 513 :
कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम **शर्मा कारपेट्स** । 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 61-62.

2006 की दांडिक अपील सं. 53 और 54 में बम्बई उच्च न्यायालय, गोवा के तारीख 28 जुलाई, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अरुण आर. पेडनेकर, हितेश कुमार शर्मा और वी. एन. रघुपति

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री देवदत्त कामत, ज्येष्ठ अधिवक्ता, राजेश ईनामदार, जावेदुर रहमान, आदित्य भट, अश्विन जी. राज और राउफ रहीम

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. बानुमती – ये अपीलें 2006 की दांडिक अपील सं. 53 और

54 में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 28 जुलाई, 2008 को पारित किए गए उस निर्णय से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन प्रत्यर्थी-अभियुक्त की दोषमुक्ति को कायम रखते हुए अपीलार्थी-परिवादी द्वारा फाइल की गई अपीलों को खारिज कर दिया ।

2. संक्षिप्त तथ्य, जिनके आधार पर ये अपीलें फाइल की गईं, निम्नलिखित हैं :-

अपीलार्थी-परिवादी, प्रत्यर्थी-अभियुक्त को उसके अनुरोध पर वस्तुओं और चावल की थैलियों का प्रदाय कर रहा था । इस संबंध में, प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने विभिन्न चैक जारी किए, जिन्हें जब संग्रहण के लिए प्रस्तुत किया गया तो वे अनादृत हो गए । अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दो परिवाद-परिवाद सं. 339/ओए/एनआई/2004/ए और परिवाद सं. 449/ओए/एनआई/2004/ए यह अभिकथन करते हुए फाइल किए कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने अपीलार्थी को देय रकम के बदले में जारी किए गए चैक प्रस्तुत करने पर अनादृत हो गए । यह प्रकथन किया गया कि विधिक सूचना जारी करने के बावजूद प्रत्यर्थी ने संदाय नहीं किया ।

3. मामला सं. 339/ओए/एनआई/2004/ए में प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने यूटीआई बैंक पर लिखे गए तीन चैक जारी किए थे, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

तारीख	संख्यांक	रकम
1. 8.8.2003	002497	17,540-00 रु.
2. 18.8.2003	003463	17,871-00 रु.
3. 25.8.2003	002480	17,760-00 रु.
		कुल = 53,171 रुपए

4. मामला सं. 449/ओए/एनआई/2004/ए में प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने

नौ चैक जारी किए थे, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :-

तारीख	संख्यांक	रकम
1. 1.9.2003	002481	18,000-00 रु.
2. 15.9.2003	633427	20,000-00 रु.
3. 22.9.2003	633428	20,000-00 रु.
4. 29.9.2003	633429	20,000-00 रु.
5. 3.10.2003	531977	25,000-00 रु.
6. 6.10.2003	633430	20,979-00 रु.
7. 14.10.2003	531975	20,000-00 रु.
8. 27.10.2003	531976	25,000-00 रु.
9. 11.11.2003	531978	25,000-00 रु.
		कुल = 1,93,979.00 रुपए

5. जब उपर्युक्त चैक भुनाने के लिए यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, मडगांव शाखा पर प्रस्तुत किए गए, तो बैंक द्वारा तारीख 4 फरवरी, 2004 और 20 फरवरी, 2004 को चैक "के लिए व्यवस्था नहीं है/निधियां अपर्याप्त" और "निधियां अपर्याप्त" पृष्ठांकन के साथ लौटा दिए गए । इसके पश्चात्, अपीलार्थी ने चैकों की रकम के संदाय की मांग करते हुए क्रमश: तारीख 5 फरवरी, 2004 और 23 फरवरी, 2004 को प्रत्यर्थी-अभियुक्त को विधिक सूचनाएं जारी कीं । प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा उक्त सूचनाएं प्राप्त की गईं ; यद्यपि प्रत्यर्थी ने सूचनाएं प्राप्त होने की अभिस्वीकृति कीं, किंतु उसने संदाय नहीं किया और न ही उसके द्वारा जारी किए गए चैकों की तुष्टि के लिए रकम की व्यवस्था की । इसलिए परिवादी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन ऊपर यथा उल्लिखित दो परिवाद फाइल किए ।

6. विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत की गई रसीदों पर विचार करने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोनों मामलों में

दोषमुक्त कर दिया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के इस पक्षकथन को नामंजूर कर दिया कि प्रत्यर्थी कभी-कभी उधार पर चावल की थैलियां खरीदता था और कभी-कभी नकद संदाय करके चावल की थैलियां खरीदता था और यह बात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के असंगत हैं । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-परिवादी ने लिखित परिवाद में कहीं भी यह अभिकथन नहीं किया है कि प्रत्यर्थी उधार तथा नकद में खरीदारी करता था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के पास कोरे चैक प्रतिभूति के रूप में तब छोड़ता था जब कभी वह उधार में खरीदारी करता था और इसलिए अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा उपलब्ध नहीं है ।

7. उच्च न्यायालय ने अपील में प्रत्यर्थी-अभियुक्त की दोषमुक्ति की अभिपुष्टि की और यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने यह प्रतिरक्षा ली है कि विषयाधीन चैक उस माल के प्रदाय के निमित्त प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए थे जिसका बाद में नकद संदाय कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी ने सुसंगत रसीदें प्रस्तुत करके उपधारणा का खंडन किया है और यह कि प्रत्यर्थी यह साबित करने में समर्थ रहा है कि चैक उसे प्रदाय किए गए उस माल के निमित्त प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए थे जिसके लिए उसने नकद में संदाय कर दिया था । उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि परिवादी के लिए यह आबद्धकर था कि वह शिकायत में यह स्पष्ट करता कि प्रत्यर्थी द्वारा किए गए नकद संदाय अन्य वस्तुओं के संबंध में थे और चैक चावल की थैलियों के संदाय के लिए दिए गए थे । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए दोषमुक्ति के आदेश की अभिपुष्टि की कि अपीलार्थी का पक्षकथन संगत नहीं है और परिवादी-अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपीलें खारिज कर दीं ।

8. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि पक्षकारों के बीच संव्यवहार एक वाणिज्यिक संव्यवहार था और कारबार के अनुक्रम में जब खरीदारी भिन्न-भिन्न समय पर की जाती हैं और संदाय दोनों ढंग से अर्थात् नकद और चैकों द्वारा किए जाते हैं तब

प्रचालन खाते बनाए रखे जाते हैं । यह दलील दी गई कि दोनों निचले न्यायालयों ने इस तथ्य की अनदेखी की कि संव्यवहार नकद किए गए संदाय और चैकों द्वारा किए गए संदाय के मिले-जुले वाणिज्यिक संव्यवहार थे । यह दलील दी गई कि निचले न्यायालयों ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन अपीलार्थी को उपलब्ध कानूनी उपधारणा को ध्यान में न रखकर गलती की है और प्रत्यर्थी-अभियुक्त तर्कपूर्ण और संगत साक्ष्य प्रस्तुत करके उपधारणा का खंडन करने में असफल रहा था । विद्वान् काउंसेल ने यह आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 और 139 के उद्देश्य के प्रतिकूल है और अपास्त किया जाना चाहिए ।

9. प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी जब वस्तुएं-चावल की थैलियां खरीदता था तो वह परिवादी के पास चैक छोड़ देता था और उन वस्तुओं के निमित्त नकद संदाय कर देता था जिनके लिए परिवादी रसीदें जारी करता था । यह दलील दी गई कि यद्यपि परिवादी को चावल की थैलियों के लिए धन प्राप्त हो गया था तो भी उसने चैक वापस नहीं किए और उन चैकों का दुरुपयोग किया तथा प्रत्यर्थी के विरुद्ध मिथ्या परिवाद फाइल किए । यह दलील दी गई कि प्रत्यर्थी ने तारीख 2 सितम्बर, 2003 से लेकर 17 नवम्बर, 2003 तक की बीस रसीदें प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) तथा रसीदें-प्रदर्श-16/सी (समुच्चय) प्रस्तुत करके कानूनी उपधारणा का खंडन किया है । परिवादी द्वारा जारी की गई रसीदों की कुल रकम 1,94,000/- रुपए है और इस बात पर विचार करते हुए कि रकम का संदाय कर दिया गया था, निचले न्यायालयों ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा का खंडन कर दिया गया है ।

10. हमने दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और आक्षेपित निर्णय तथा अभिलेख पर की अन्य सामग्री का परिशीलन किया । विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या निचले न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलार्थी-परिवादी यह साबित करने में असफल रहा कि प्रत्यर्थी ने उससे ऋण लिया था और चैक उक्त ऋण

का उन्मोचन करने के लिए जारी किए थे, प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करके ठीक किया था या नहीं ।

11. अपीलार्थी अपना कारबार करने वाला एक कमीशन अभिकर्ता/वणिक् (मर्चेंट) है और प्रत्यर्थी-अभियुक्त को उसके अनुरोध पर चावल की थैलियों का प्रदाय करता रहता था । स्वीकृततः, अपीलार्थी-परिवादी और प्रत्यर्थी-अभियुक्त के बीच संव्यवहार एक वाणिज्यिक संव्यवहार था । कारबार के अनुक्रम में, पक्षकारों द्वारा प्रचालन खाते बनाए रखे गए थे । अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी चावल की थैलियां कभी उधार और कभी नकद में खरीदता रहता था । अभि. सा. 1 परिवादी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि चैक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को संदेय उधार संव्यवहार के लिए जारी किए थे । इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का यह पक्षकथन है कि प्रदर्श-16/सी (समुच्चय) और प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा किए गए नकद संदाय के विरुद्ध जारी किए गए थे और यद्यपि संदाय कर दिए गए थे, फिर भी प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा जारी किए चैक उसके द्वारा वापस नहीं किए गए थे । प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने विभिन्न रसीदों-प्रदर्श 22/सी (समुच्चय) का अवलंब लिया है, जो निम्न प्रकार से हैं :-

क्र. सं.	रसीद सं.	तारीख	रकम
1.	1276	2.9.03	16,000/- रुपए
2.	1291	4.9.03	2,000/- रुपए
3.	1340	8.9.03	16,000/- रुपए
4.	1489	27.9.03	20,000/- रुपए
5.	1556	3.10.03	20,000/- रुपए
6.	1615	6.10.03	14,500/- रुपए
7.	1621	8.10.03	5,000/- रुपए
8.	1682	13.10.03	15,500/- रुपए

9.	1689	13.10.03	3,300/- रुपए
10.	1746	20.10.03	17,000/- रुपए
11.	1763	23.10.03	1,500/- रुपए
12.	1760	23.10.03	2,300/- रुपए
13.	1808	27.10.03	16,000/- रुपए
14.	1828	1.11.03	3,000/- रुपए
15.	1882	5.11.03	20,000/- रुपए
16.	1942	11.11.03	15,000/- रुपए
17.	1941	11.11.03	3,000/- रुपए
18.	1953	15.11.03	3,000/- रुपए
19.	1958	17.11.03	12,000/- रुपए
20.	2001	17.11.03	3,000/- रुपए

12. परिवादी का यह पक्षकथन है कि जब कभी प्रत्यर्थी नकद में खरीदारी करता था, प्रत्यर्थी को कैश मेमो/रसीदें जारी की जाती थीं और उपरोक्त बीस रसीदें प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) नकद में किए गए क्रय से संबंधित हैं । परिवादी-अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा जारी किए गए चैक परिवादों की विषयवस्तु हैं और प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा उधार में की गई खरीदारी के संबंध में हैं और प्रत्यर्थी ने उसके द्वारा उधार पर की गई खरीदारी का संदाय नहीं किया था या बकाया का भुगतान नहीं किया था । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का यह पक्षकथन है कि वह सदैव उधार में खरीदारी करता था और परिवादी-अपीलार्थी के पास कोरे चैक छोड़ देता था और उसके पश्चात् वह संदाय कर देता था जिसके लिए परिवादी प्रत्यर्थी को रसीदें जारी कर देता था, तथापि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के पास छोड़े गए कोरे चैक वापस नहीं किए, यद्यपि प्रत्यर्थी ने संदाय कर दिए थे और अपीलार्थी-परिवादी द्वारा उन चैकों का दुरुपयोग किया गया था ।

13. जैसा कि रसीद प्रदर्श-16/सी (समुच्चय) और प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) से दर्शित होता है, यद्यपि रकम कथित रूप से प्रत्यर्थी के खाते में जमा कर दी गई थी, फिर भी रसीदों में यह शब्द प्रयोग किए गए हैं "चैक वसूली के अध्यधीन हैं" । रसीद का रूपविधान निम्न प्रकार से है :-

---

एम (सीएसटी) 4265 ता. 4.9.91 दूरभाष .....
एम (एसटी) 6104 ता. 4.9..91 निवास .....

मैसर्स श्री दानेश्वरी ट्रेडर्स
जनरल मर्चेंट एंड कमीशन एजेंट
शॉप न. 8, मस्जिद बिल्डिंग
मालभार, मडगांव - गोवा

सं. 1145 तारीख 18.8.03

रसीद

मैसर्स शांतादुर्गा स्टोर्स, मडगांव के खाते में नकद/चैक/ड्राफ्ट द्वारा 15,000/- रुपए, पंद्रह हजार रुपए केवल जमा किए जाते हैं ।

कृते मैसर्स श्री दानेश्वरी ट्रेडर्स

एल/एफ _____

चैक वसूली के अध्यधीन है ।

अपीलार्थी का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को रसीदें प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) कारबार के दौरान प्रत्यर्थी द्वारा किए गए नकद संदाय के निमित्त जारी की गई थीं । निचले न्यायालय यह विचार करने में असफल रहे कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को रसीदें प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) प्रत्यर्थी द्वारा किए गए नकद संदाय के विरुद्ध जारी की गई थीं । जबकि चैक परिवादी से वस्तुओं की उधार में की गई खरीदारी के निमित्त जारी किए थे, जो कि एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण है ।

14. प्रति. सा. 2 प्रत्यर्थी-अभियुक्त का पिता है । प्रति. सा. 2 ने

अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि प्रत्यर्थी कारबार संव्यवहार करने के लिए उसके पास कोरे चैक छोड़ देता था । प्रति. सा. 2 ने यह कथन किया कि वे परिवादी से चावल की थैलियां खरीदते रहते थे और परिवादी के पास चैक छोड़ देते थे । स्वीकृतत:, चैक प्रति. सा. 2 के हस्तलेख में हैं । प्रति. सा. 2 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि चावल की खरीद से संबंधित रकम हालांकि पहले ही संदत्त कर दी गई थी, तो भी परिवादी ने चावल की खरीद से संबंधित रकम प्राप्त करने के बावजूद चैक वापस नहीं किए । यह नितांत अविश्वसनीय बात है कि एक कारबार/वाणिज्यिक संव्यवहार में अभियुक्त ने चावल की थैलियों की खरीद के निमित्त संदाय करने के पश्चात् भी चैक वापस करने के लिए जोर नहीं दिया । यह नितांत अनधिसंभाव्य है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने चैक वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और यद्यपि परिवादी ने धन के संदाय के पश्चात् भी चैक वापस नहीं किए थे, फिर भी कारबार संव्यवहार जारी रखा ।

15. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में तीन चैकों को निर्दिष्ट किया और यह मत व्यक्त किया कि तीन चैकों सं. 2463, तारीख 18 अगस्त, 2003 ; 2480, तारीख 25 अगस्त, 2003 और 2497, तारीख 8 अगस्त, 2003 से यह सुझाव मिलता है कि बाद का चैक सं. 2497 तारीख 18 अगस्त, 2003 या 25 अगस्त, 2003 के चैक से बहुत पहले दिया गया था जो कि असंगत प्रतीत होता है और यह कारबार के प्रसामान्य अनुक्रम में नहीं किया जा सकता था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तीनों चैकों के जारी करने की तारीख से यह सुझाव मिलता है कि चैक पहले से ही परिवादी के पास थे और परिवादी द्वारा बाद में उनका उपयोग किया गया था । इस पहलू पर, अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा की गई थी कि चैक संख्यांक 2497 तारीख 8 अगस्त, 2003 को क्यों जारी किया गया था जबकि यह तारीख 25 अगस्त, 2003 के पश्चात् जारी किया जाना चाहिए था, इस बारे में अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि वह इसके बारे में नहीं जानता है । विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तीन चैकों को निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि असंगतता को देखते हुए परिवादी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा उपलब्ध नहीं है

और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अभिपुष्टि की गई थी । यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि अभियुक्त द्वारा छोड़े गए चैक परिवादी के पास थे और वे परिवाद फाइल करने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं । निचले न्यायालयों ने यह बात ध्यान में नहीं रखी कि प्रत्यर्थी द्वारा चैकों के जारी करने की रीति पर अपीलार्थी का कोई नियंत्रण नहीं था और यह चैक कैसे जारी किया गया था । केवल इस कारण कि बाद का चैक सं. 2497 प्रत्यर्थी द्वारा कथित रूप से पूर्ववर्ती तारीख 8 अगस्त, 2003 को जारी किया गया था, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि परिवादी ने प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए कोरे चैक प्रयुक्त किए थे ।

16. परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन जब एक बार लेखीवाल द्वारा चैक जारी कर दिया जाता है, तो परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 के अधीन धारक के पक्ष में एक उपधारणा लागू होगी । धारा 139 से यह कानूनी उपधारणा सृजित होती है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन निर्दिष्ट प्रकृति का प्राप्त हुआ चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए है । उन परिस्थितियों को साबित करने का आरंभिक भार परिवादी पर होता है, जिनमें चैक उसके पक्ष में जारी किया गया था और यह कि चैक किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के उन्मोचन के लिए जारी किया था ।

17. यह भार अभियुक्त पर है कि इस उपधारणा का खंडन करने के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करे कि ऐसा ऋण विद्यमान नहीं है या चैक प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं है । अधिनियम की धारा 139 के अधीन की जाने वाली उपधारणा की व्याप्ति और उपधारणा का खंडन करने के लिए अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए **कुमार एक्सपोर्ट्स** बनाम **शर्मा कारपेट्स**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने (पैरा 14-15 और पैरा 18-20) में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :-

---

[1] (2009) 2 एस. सी. सी. 513.

"14. अधिनियम की धारा 139 में यह उपबंधित है कि जब तक तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चैक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चैक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है ।

15. उपधारणाएं ऐसी युक्तियां हैं जिनका उपयोग करके न्यायालयों को किसी विवाद्यक पर इस बात के होते हुए कि कोई साक्ष्य नहीं है या अपर्याप्त साक्ष्य है निर्णय सुनाने के लिए समर्थ और हकदार बनाया गया है । साक्ष्य अधिनियम के अधीन सभी उपधारणाएं अधिनियम में वर्णित तीन वर्गों, अर्थात् (1) 'उपधारणा कर सकेगा' (खंडनीय), (2) 'उपधारणा करेगा' (खंडनीय) और (3) 'निश्चायक उपधारणाएं (अखंडनीय) के किसी एक या अन्य वर्ग के अधीन अवश्य आनी चाहिए । 'उपधारणा' पद को किसी न्यायिक अधिकरण द्वारा किसी तथ्य के विद्यमान होने या न होने के बारे में, किसी तथ्य की बात से अधिसंभाव्यता की तार्किकता की प्रक्रिया द्वारा, या तो न्यायिक रूप से अवेक्षा करके या स्वीकृत अथवा विधिक साक्ष्य द्वारा अधिकरण के समाधानप्रद सिद्ध करके निकाले गए निष्कर्ष, जिसे सुविधा के लिए 'उपधारणात्मक तथ्य' कहा जाता है, को अभिहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है । उपधारणा का शाब्दिक अर्थ 'परीक्षा या सबूत के बिना सत्य मान लेना' है ।

.....

18. साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में दी गई 'साबित' शब्द की परिभाषा को अधिनियम की धारा 118 और 139 के उपबंधों को लागू करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 138 के अधीन किसी विचारण में जब एक बार परक्राम्य लिखत का निष्पादन या तो साबित हो जाता है या स्वीकार किया जाता है तो यह उपधारणा की जाएगी कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफल के लिए बनाई गई थी या लिखी गई थी और यह ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए निष्पादित की गई थी । जैसे ही परिवादी यह

साबित करने के भार का निर्वहन कर देता है कि लिखत, अर्थात् प्रलेख, अभियुक्त द्वारा निष्पादित किया गया था, तो अधिनियम की धारा 118 और 139 के अधीन उपधारणाओं के नियम इस भार को अभियुक्त पर स्थानांतरित करने में उसकी सहायता करते हैं । उपधारणाएं बनी रहेंगी, विद्यमान और बची रहेंगी और केवल तब समाप्त होंगी जब अभियुक्त द्वारा तत्प्रतिकूल साबित कर दिया जाता है, अर्थात् चैक प्रतिफल के लिए और किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए जारी नहीं किया गया था । उपधारणा स्वयमेव साक्ष्य नहीं है, अपितु इससे केवल उस पक्षकार का एक प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है जिसके फायदे के लिए यह विद्यमान है ।

19. अधिनियम की धारा 118 में 'जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है' वाक्यांश के प्रयोग और अधिनियम की धारा 139 में 'जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है' शब्दों के प्रयोग के साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दी गई 'उपधारणा कर सकेगा' और 'उपधारणा करेगा' की परिभाषाओं के साथ पढ़ने से तुरंत यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों उपबंधों के अधीन की जाने वाली उपधारणाएं खंडनीय हैं । जब कोई उपधारणा खंडनीय है, तो इससे केवल यह इंगित होता है कि जिस पक्षकार पर उपधारणा किए गए तथ्य पर साक्ष्य प्रस्तुत करने का कर्तव्य है और जब उस पक्षकार ने उचित रूप से और युक्तियुक्त रूप से यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है कि वास्तविक तथ्य उपधारणा अनुसार नहीं है, तो उपधारणा का प्रयोजन समाप्त हो जाता है ।

20. अधिनियम की धारा 138 के अधीन विचारण में अभियुक्त के पास दो विकल्प होते हैं । वह या तो यह दर्शित कर सकता है कि प्रतिफल और ऋण विद्यमान नहीं है या मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में प्रतिफल और ऋण की अविद्यमानता इतनी अधिसंभाव्य है कि किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि कोई प्रतिफल और ऋण विद्यमान नहीं है । कानूनी उपधारणाओं का खंडन करने के लिए अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा

युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने की प्रत्याशा नहीं की जाती है जैसी प्रत्याशा किसी दांडिक विचारण में शिकायतकर्ता से की जाती है । अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि प्रश्नगत प्रलेख प्रतिफल से समर्थित नहीं था और उसके द्वारा उन्मोचित किया जाने वाला कोई ऋण या दायित्व नहीं था । तथापि, न्यायालय को प्रत्येक मामले में इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रतिफल और ऋण की अविद्यमानता को नासाबित करना चाहिए क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य की विद्यमानता न तो संभव है और न ही अनुध्यात है । साथ ही साथ, यह स्पष्ट है कि प्रतिफल के सक्रांत करने और ऋण की विद्यमानता से मात्र इनकार करने से अभियुक्त के प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी । परिवादी पर सबूत का भार स्थानांतरित कराने के लिए अभिलेख पर कोई ऐसी बात लाई जानी चाहिए जो अधिसंभाव्य है । उपधारणाओं को नासाबित करने के लिए अभियुक्त को अभिलेख पर ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को लाना चाहिए जिन पर विचार करने के उपरांत न्यायालय को या तो यह विश्वास हो सके कि प्रतिफल और ऋण विद्यमान नहीं थे या उनकी अविद्यमानता इतनी अधिसंभाव्य थी कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति मामले की परिस्थितियों में इस अभिवाक् पर विश्वास करेगा कि वे विद्यमान नहीं थे । अभियुक्त यह साबित करने के लिए कि प्रश्नगत प्रलेख प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं था या उसने कोई ऋण या दायित्व उपगत नहीं किया था, प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुतत करने के अतिरिक्त पारिस्थितिक साक्ष्य का भी अवलंब ले सकता है और यदि इस प्रकार अवलंब ली गई परिस्थितियां अकाट्य हैं, तो भार उसी तरह फिर से परिवादी पर स्थानांतरित हो सकेगा । अभियुक्त तथ्य की उपधारणाओं का भी अवलंब ले सकता है, उदाहरण के लिए, जो अधिनियम की धारा 118 और 139 के अधीन उद्भूत होने वाली उपधारणाओं का खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में वर्णित हैं ।

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

18. प्रस्तुत मामले में, परिवादी ने अभि. सा. 1 के रूप में स्वयं

की परीक्षा कराकर उस पर अधिरोपित इस आरंभिक भार का निर्वहन किया है कि चैक उधार पर खरीदी गई चावल की थैलियों के लिए जारी किए गए थे । अभि. सा. 1 की परीक्षा से अधिनियम की धारा 139 के अधीन यह कानूनी उपधारणा उद्भूत होती है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा चैक किसी ऋण या और दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए जारी किए गए थे । निचले न्यायालयों ने परिवादी के प्रकथनों पर इस आधार पर अविश्वास किया कि परिवाद में ऐसे कोई प्रकथन नहीं हैं कि वस्तुएं नकद में बेची गई थीं और चावल की थैलियां उधार पर बेची गई थीं तथा चैक उधार पर बेचे गए माल के लिए जारी किए गए थे । यद्यपि, परिवाद में ऐसे कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं हैं कि चैक उधार पर की गई खरीद के लिए जारी किए गए थे, तो भी अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि चैक उधार पर खरीदी गई वस्तुओं के लिए जारी किए गए थे । निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 1 के साक्ष्य को इस आधार पर अस्वीकार करके गलती की है कि परिवाद में नकद में की गई खरीदारी के बारे में कोई प्रकथन नहीं किए गए थे । निचले न्यायालयों ने अधिनियम की धारा 139 के अध्यधीन यह कानूनी उपधारणा न करके गलती की है कि परिवादी ने चैक ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णत: या भागत: उन्मोचन के लिए प्राप्त किए थे ।

19. प्रत्यर्थी-अभियुक्त को यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था कि चैक प्रतिफल द्वारा समर्थित नहीं थे और उसके द्वारा उन्मोचित किया जाने वाला कोई ऋण या दायित्व नहीं था । प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा अवलंब ली गई रसीदों प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) से उधार पर की गई खरीदारी और एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण के विद्यमान हाने के बारे में संदेह उत्पन्न नहीं होता है, जिसके लिए चैक जारी किए गए थे । निचले न्यायालयों ने यह मत व्यक्त करके गलती की है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने रसीदों प्रदर्श-22/सी (समुच्चय) द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के अधीन उद्भूत कानूनी उपधारणा का खंडन कर दिया है । परिवादी द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि यह एक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण था और चैक विधिक रूप से प्रवर्तनीय ऋण का उन्मोचन करने के लिए जारी किए गए थे । परिवादी

द्वारा प्रस्तुत किए साक्ष्य से निचले न्यायालयों को अधिनियम की धारा 139 के अधीन उपधारणा करनी चाहिए थी । प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 के अधीन उद्भूत उपधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है । प्रत्यर्थी की यह प्रतिरक्षा कि यद्यपि उसने वस्तुओं/चावल की थैलियों का संदाय कर दिया था, फिर भी अपीलार्थी-परिवादी द्वारा कोरे चैक वापस नहीं किए गए थे, पूर्ण रूप से अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को संधार्य नहीं रखा जा सकता है और अपास्त किया जाना चाहिए । प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोनों परिवादों में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है, तथापि, यह विचार करते हुए कि चैक संव्यवहार वर्ष 2003 का है, इतने अंतराल के पश्चात् हम अभियुक्त पर कोई कारावास का दंडोदश अधिरोपित करना समुचित नहीं समझते हैं ।

20. परिणामत:, 2006 की दांडिक अपील सं. 53 और 54 में उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और ये अपीलें मंजूर की जाती हैं । प्रत्यर्थी-अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है और प्रत्यर्थी पर 2,97,150/- रुपए (53,171/- + 1,93,979/- + 50,000/- रुपए प्रतिकर) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है, जिसका व्यतिक्रम करने पर प्रत्यर्थी छह माह का कारावास भुगतेगा । विचारण न्यायालय के समक्ष आज से बारह सप्ताह के भीतर 2,97,150/- रुपए जुर्माने की रकम जमा की जाएगी, असफल रहने पर प्रत्यर्थी को व्यतिक्रम दंडादेश भुगतने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा । जुर्माने की रकम जमा करने पर, 2,97,150/- रुपए अपीलार्थी-प्रत्यर्थी को संदत्त किए जाएंगे ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.